



110  
18/7/89

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 15, 1989/आषाढ़ 24, 1911  
No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 15, 1989/ASADHA 24. 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (सब राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अस्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि एवं न्याय मंत्रालय  
(विधि कार्य विभाग)

विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति  
गुडि पत्र

नई दिल्ली, 28 जून, 1989

सा. का. नि. 474.—विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग (विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति) भारत सरकार की अधिसूचना संख्याक सा. का. नि. 117 तारीख 25 जनवरी, 1989 जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उग खंड (i) तारीख 4 मार्च, 1989 के पृष्ठ 424 से 428 पर प्रकाशित हुई है, की अनुसूची में, स्तंभ 13 के नीचे की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण पढ़ा जाएगा :—

“टिप्पण : पृष्ठ में संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियों, संघ लोक सेवा आयोग से अनुमोदनां भेजी जाएगी, किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।”

[सा. सं. ए-12018/1/86 में आई एल ए एम्]  
जि० डी० चोटमुरादा, प्रवर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
(Department of Legal Affairs)

COMMITTEE FOR IMPLEMENTING LEGAL AID SCHEME

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th June, 1989

G.S.R. 474.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs (Committee for Implementing Legal Aid Schemes), number G.S.R. 117 dated the 25th January, 1989 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated the 4th March, 1989, at pages 424 to 428, on page 428 in the Schedule after the entry under column 13, read the following Note :—

“Note—The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. It however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.”

[File No. A-12018/1/86-CILAS]

G. D. CHOTMURADA, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 जून, 1989

सा. का. नि. 487—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी (समूह 'ग') वर्ग) भर्ती नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं अर्थात्—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह 'ग') भर्ती (संशोधन) नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 आकाशवाणी (समूह 'ग') वर्ग) भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में लिपिक श्रेणी 2 टैली प्रिंटर आपरेटर/टेलीफोन परिचर / सारणीकार लिपिक/हिन्दी भाषा टाईपिस्ट के पदों से संबंधित क्रम संख्याक 34 के मामले स्वम्भ 3 में नीचे की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

"साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसन्धीय।"

[सं. 8/38/87-एम 2-बी (ए)]

कश्मीरी लाल, अवर सचिव

टिप्पणः— मूल नियम जिनका संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह 'ग') वर्ग) भर्ती नियम, 1964 है, सा. का. नि. सं. 1176 तारीख 30-11-1964 के अधीन अधिसूचित किए गए थे और बाद में उनके निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए—

1. अधिसूचना सं. 11/5/64-बी (ए) तारीख 9-8-1965
2. अधिसूचना सं. 5/2/67 बी (ए) तारीख 20-3-1967
3. अधिसूचना सं. 7/2/68-बी (ए) तारीख 14-6-1968
4. अधिसूचना सं. 7/8/66-बी (ए) तारीख 31-1-1970
5. अधिसूचना सं. 20/8/67-बी (ए) तारीख 24-2-1970
6. अधिसूचना सं. 16/20/69-बी (ए) तारीख 30-3-1970
7. अधिसूचना सं. 1/7/70-बी (ए) तारीख 18-3-71
8. अधिसूचना सं. 1/8/71-बी (ए) तारीख 29-1-72
9. अधिसूचना सं. 1/8/71-बी (ए) तारीख 2-2-72
10. अधिसूचना सं. 1/11/71 बी (ए) तारीख 5-5-1972
11. अधिसूचना सं. 1/4/72 बी (ए) तारीख 16-6-1972
12. अधिसूचना सं. 1/7/71 बी (ए) तारीख 14-11-1972
13. अधिसूचना सं. 1/6/73 बी (ए) तारीख 23-5-73
14. अधिसूचना सं. 1/11/73 बी (ए) तारीख 29-6-73
15. अधिसूचना सं. 1/5/73 बी (ए) तारीख 20-8-73
16. अधिसूचना सं. 1/7/70 बी (ए) तारीख 15-5-74
17. अधिसूचना सं. 1/7/70 बी (ए) तारीख 8-8-74
18. अधिसूचना सं. 1/3/74 बी (ए) तारीख 21-5-76
19. अधिसूचना सं. 12019/10/79 बी (ए) तारीख 26-12-78
20. अधिसूचना सं. 12019/1/78 बी (ए) तारीख 17-12-80
21. अधिसूचना सं. 12019/8/80 बी (ए) तारीख 27-4-81
22. अधिसूचना सं. 12019/8/81 बी (ए) तारीख 17-5-1982
23. अधिसूचना सं. 12019/4/81 बी (ए) तारीख 11-9-83
24. अधिसूचना सं. 45011/83/82 बी (ए) तारीख 19-9-83
25. अधिसूचना सं. 7/19/83-ए और बी (ए) तारीख 2-7-84

26. अधिसूचना सं. 3/25/83—सी और ए/एस 3/ए आई और बी (ए) तारीख 2-6-87
27. अधिसूचना सं. 7/5/86-ए और ए आई और बी (ए) तारीख 10-9-87
28. अधिसूचना सं. 7/13/86—ए और बी (ए) तारीख 10-11-87
29. अधिसूचना सं. 8/36/87-एम 2/बी (ए) तारीख 30-12-1987
30. अधिसूचना सं. 14/19/86-एम 2 बी (ए) तारीख 27-4-1988
31. अधिसूचना सं. 2/7/83 सी और सी और एस 2 एम 2 - बी (ए) तारीख 23-5-88
32. अधिसूचना सं. 8/38/87-एम 2/बी (ए) तारीख 21-6-1988

New Delhi, the 22nd June, 1989

G. S. R. 487—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'C') Posts) Recruitment Rules, 1964\* namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'C') Recruitment (Amendment) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'C') Posts) Recruitment Rules, 1964, against serial number 34 relating to the posts of Clerk Grade II/ Teleprinter Operator/Telephone Attendant/Tabulator Clerk/ Hindi Language Typist, for the existing entries under Column 3, the following entry shall be substituted, namely :—

"General Central Service,  
Group 'C'  
Non-Gazetted,  
Ministerial."

[No.8/38/87-S.II/B(A)]

KASHMIRI LAL, Under Secy.

Note : \*Principal Rules called the All India Radio (Group 'C') Posts) Recruitment Rules, 1964, were notified vide G.S.R.No.1176 dated 30.11.1964 and subsequently the following amendments have been notified :—

1. Notification No. 11/5/64-B(A), dated 9.8. 1965
2. " No. 5/2/67-B(A), dated 20.3.1967
3. " No. 7/2/68-B(A), dated 14.6.1968
4. " No. 7/8/66-B(A), dated 31.1.1970
5. " No.20/8/67-B(A), dated 24.2.1970
6. " No. 16/20/69-B(A), dated 30.3.1970
7. " No. 1/7/70-B(A), dated 18.3.71
8. " No.1/8/71-B(A), dated 29.1.72
9. " No. 1/8/71-B(A), dated 2.2.197

10.	Notification No.1/11/71-B(A),	dated 5.5.1972	23.	Notification No. 12019/4/81-B(A),	dated 11.4.83
11.	" No.1/4/72-B(A),	dated 16.6.1972	24.	" No. 45011/83/82-B(A),	dated 19.9.83
12.	" No. 1/7/71-B(A),	dated 14.11.1972	25.	" No. 7/19/83-AR/B(A),	dated 3.7.84
13.	" No. 1/6/73-B(A),	dated 23.5.73	26.	" No.3/25/83-CRCR/S.	dated 2.6.87
14.	" No. 1/11/73-B(A),	dated 29.6.73		II/AIR/B(A),	
15.	" No. 1/5/73-B(A)	dated 20.8.73	27.	" No. 7/5/86-AR/AIR/B(A),	dated 10.9.87
16.	" No. 1/7/70-B(A),	dated 15.5.74	28.	" No. 7/13/86-AR/B(A),	dated 10.11.87
17.	" No. 1/7/70-B(A),	dated 8.8.74	29.	" No. 8/36/87-S.IIB(A),	dated 30.12.1987
18.	" No. 1/3/74-B(A),	dated 21.5.76	30.	" No.14/19/86-S. II/B(A),	dated 27.4.1988
19.	" No. 12019/10/79-B(A),	dated 26.12.78	31.	" No. 2/7/83-CRCR/S.	dated 23.5.88
20.	" No. 12019/1/78-B(A),	dated 17.12.80		II/SVIII/ B(A),	
21.	" No. 12019/8/80-B(A),	dated 27.4.81	32.	" No. 8/38/87-S.II/B(A),	dated 21.6.1988
22.	" No. 12019/8/81-B(A),	dated 17.5.1982			